Media coverage WNTD 2019

Free press journal

WORLD NO TOBACCO DAY OBSERVED

State govt urged to implement tobacco vendor licensing system strictly

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

On World No Tobacco Day, doctors and citizens urged the state government to implement tobacco vendor licensing system strictly to protect public health here on Friday.

According to a study, 84 per cent tobacco vendors in the state are giving toffee, chips and other items along with tobacco products to lure youngsters.

The National Centre for Human Settlements and Environment (NCHSE) , Bhopal and Consumer Voice - a New Delhi based NGO working on tobacco control issues in the state, jointly organised a consultation to mark the day and to discuss implementation of state government's policy on mandating licensing for vendors who sell tobacco products.

The event was focused to spread awareness on health hazards of tobacco and sensitisation of various stakeholders to support vendor licencing - which is an effective tool for tobacco control. World No Tobacco Day 2019 is focussing on the impact of tobacco on the lungs of people worldwide.

Speaking on the occasion, Amarjeet Singh, adviser (legal & projects) Consumer Voice, New Delhi highlighted the Global Adult Tobacco Survey 2 (GATS 2) released by ministry of health and family welfare in 2017. It showed 35 per cent of the adults in Madhya Pradesh consume tobacco in some form or the other.

During the panel discussion, deputy commissioner, Bhopal Municipal Corporation, Vinod Shukla, deputy director urban development and housing OP Jha, former CMHO Bhopal Dr SK Saxena, chief executive AARAMBH Archana Sahay expressed their views.

Dr Saxena explained how smoking and chewing of tobacco affects human body. He said children in the age group of 5 to 15 are the most vulnerable class and should be protected. He further said that tobacco as a cancer causing agent should be included in the primary school syllabus. He also stressed upon the need for mass education on health hazards of tobacco.

While summing up the discussion director general, NCHSE Dr. Pradip Nandi appreciated the issuance of orders on vendor licensing by the Urban Development Department. He expressed hope that ULBs will implement it in letter and spirit for saving lives of future generations.

On the occasion five posters were also released.

Dainik Bhaskar

प्रतिबंध के बावजूद भी स्कूल कैंपस के आसपास ही बेचे जा रहे हैं तंबाकू उत्पाद

विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज

बच्चों को आकर्षित करने के लिए सिंगल स्टिक के रूप में बेची जा रहीं बीड़ी-सिगरेट

विशेष संवाददाता | भोपाल

राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सभी 5 प्रमुख महानगरों के आधे यानी 50% से अधिक स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद धडल्ले से बेचे जा रहे हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सिगरेट सिंगल स्टिक के रूप में स्कूलों के नजदीक बेची जा रही हैं। इतना ही नहीं बीड़ी भी सिंगल स्टिक के रूप में अब दुकानों पर उपलब्ध हो रही है, जो बच्चों के लिए सस्ती और सुलभ हो जाती है। यह स्थिति तब है कि जब देशभर में कोटपा कानून के तहत स्कूलों के नजदीक तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर एफआईआर तक दर्ज करने का प्रावधान है। यह खुलास पिछले दिनों जारी हुई 'बिग टोबैको-टाइनी इंडिया' रिपोर्ट में किया गया है। दिल्ली की कंजूमर वाइस और भोपाल की नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरोमेंट (एनसीएचएसई) संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया था। रिपोर्ट में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर के 53 स्कूलों के नजदीक 72 सेलिंग पॉइंट की पड़ताल की गई। जिनमें 38 तंबाकू उत्पाद बिक्री केंद्र पाए गए। इनमें 73% सड़क किनारे मौजूद थे। इसके अलावा चलते-फिरते तंबाकू उत्पाद विक्रेता भी स्कूलों के आसपास पाए गए।

मप्र में हर साल तंबाकू उत्पादों के कारण होती हैं 91 हजार मौतें : भारत में सालाना 13.5 लाख मौतें तंबाकू सेवन से जुड़ी बीमारियों के कारण होती हैं। इनमें से लगभग 91 हजार मौतें मध्यप्रदेश में होती है।

CamScanner

Deshbandhu:

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तम्बाकू विक्रेता लाइसेंस को सख्त करें सरकार

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश राज्य में तंबाकू नियंत्रण के मुद्दों पर काम करने वाली नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट, भोपाल एवं कंज्यूमर वॉयस नई दिल्ली ने तंबाकू से स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने और विक्रेता के लिए लाइसेंस सख्त करने का आग्रह सरकार से किया। यह चर्चा (सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद ,व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति का वितरण और उत्पादन का निषेध (कोप्टा) अधिनियमए 2003 को कड़ाई से अनुपालन के लिए भारत सरकार व मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों के अप्रभाव से उपजी है। डॉ. सक्सेना ने बताया, कि किस तरह धूम्रपान और चबाने से मानव शरीर में कैंसर होता है। उन्होंने कहा, कि 5 से15 आयु वर्ग के बच्चे सबसे कमजोर वर्ग हैं और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने सलाह दी, कि प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में तम्बाकू और कैंसर को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने तंबाकू का स्वास्थ्य पर प्रभाव पर सामूहिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया।

कार्यक्रम में पूर्व में एक तम्बाकू व्यसनी रह चुके राजीव तिवारी ने तम्बाकू की लत के अपने दर्दनाक अनुभव साझा किया। अर्चना सहाय ने कहा, कि किशोर न्याय एक्ट 2015 के प्रावधान के बारे में बच्चों और पुलिस को शिक्षित करने की आवश्यकता है ,जो बच्चों को तम्बाकू और अन्य नशे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है कार्यक्रम की रूपरेखा नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट के महानिदेशक डॉ प्रदीप नंदी ने तैयार की थी

सभी प्रतिभागियों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कानून सख्ती से लागू करने की मांग की। इस कार्यक्रम में लगभग 60 प्रतिभागियों से भाग लिया, जिनमें शिक्षक, अधिवक्ता अधिकारी और पीड़ित सभी मौजूद थे।

Free Press Journal: State government urged to implement tobacco vendor licensing system strictly

Daily Hunt: Bhopal: State government urged to implement tobacco vendor licensing system strictly

https://web.dailyhunt.in/news/india/urdu/the+free+press+journal-epaper-fpressjr/bhopal+state+government+urged+to+implement+tobacco+vendor+licensing+system+strictly-newsid-117716620

NJUS: Bhopal: State government urged to implement tobacco vendor licensing system strictly

https://www.njus.me/in/news/politics/0/6717001/bhopal-state-government-urged-to-implement-tobacco-vendor-licensing-system-stric